कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध–मण्डल की 41वीं बैठक दिनांक 19.01.2022

कार्यवृत

प्रबन्ध–मण्डल की 41वीं बैठक दिनांक 19.01.2022 को अपराह्न 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में ऑनलाइन पद्धति से सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही:–

	प्रो0 नीलिमा सिंह माननीय कुलपति महोदया, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	**प्रो. जॉन वर्गीस** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
3.	**प्रो. मनोरंजन शर्मा** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
4.	**डॉ. एकता धारीवाल** राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
5.	**डॉ. जगदीश प्रसाद सैनी** राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
6.	**डॉ. अनिता कोठारी** राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
7.	**डॉ. राजवन्त सन्धु** प्राचार्य, प्रगति शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा राज्य सरकार द्वारा नामित निजी महाविद्यालय, प्राचार्य	सदस्य
8.	**प्रो. आशु रानी** कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता	सदस्य
9.	**प्रो. रीना दाधीच** कुलपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
10.	**डॉ. अनिता सुखवाल** कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता	सदस्य
11.	**डॉ0 आर.के. उपाध्याय** कुलसचिव	सदस्य सचिव

सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर; सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर; आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; श्रीमती इन्द्रा मीणा, माननीय विधायक, बामनवास, (जिला–सवाई माधोपुर), श्री पानाचंद मेघवाल, माननीय विधायक, अटरू जिला बारां; प्रो. एन.के. जैमन, कुलपति द्वारा नामित आचार्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव एवं माननीय कुलपति महोदया द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों/गतिविधियों के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :–

मद संख्या–1	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 20.11.2020 (ऑनलाइन), 19.01.2021 व 05.04.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना। साथ ही विश्वविद्यालय पत्रांक 1805 दिनांक 09.07.2021 द्वारा Circulation के माध्यम से अनुमोदित, विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान की पुष्टि करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 20.11.2020 (ऑनलाइन), 19.01.2021 व 05.04.2021 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया। प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.04.2021 के कार्यवाही विवरण के मद सं. 03 में वर्ष 2012–13 में नियुक्त हुए शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत पदोन्नति प्रदान करने संबंधी प्रकरण में उल्लेखित – "सदन द्वारा कतिपय तकनीकी कारणों यथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा माननीय न्यायालयों में विश्वविद्यालय में भर्ती संबंधी प्रकरणों के विचाराधीन....." में न्यायालयों के स्थान पर न्यायालय शब्द पढे जाने के साथ ही बैठक दिनांक 05.04.2021 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–2	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 20.11.2020 (Online), 19.01.2021 व 05.04.2021 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 20.11.2020 (Online), 19.01.2021 व 05.04.2021 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया। डॉ. अनिता सुखवाल, माननीय सदस्य द्वारा वर्ष 2012–13 में नियुक्त हुए शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने संबंधी प्रकरण पर सदन में सभी माननीय सदस्यों से पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किया गया। डॉ. सुखवाल द्वारा सदन को बताया गया कि मा0 न्यायालय में चयन की प्रक्रिया पर आक्षेप है परन्तु व्यक्ति विशेष पर नहीं। मा0 न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है तथा इससे व्यक्ति विशेष क्यों प्रभावित हो ? प्रो0 रीना दाधीच, माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार की

		अनुमति की आवश्यकता वहीं है जहाँ सरकार पर आर्थिक भार हो। सभी स्टॉफ का वेतन विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा नहीं। अतः राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु डॉ. जे.पी. सैनी, माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार से हाल ही प्राप्त पत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जावें। प्रो0 जॉन वर्गीस माननीय सदस्य द्वारा भी यही कहा गया कि विश्वविद्यालय की उक्त प्रकरण में कार्यवाही मा. न्यायालय के निर्णयाधीन हो। अतः सदन द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार ही कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। यदि मा. न्यायालय का निर्णय शिक्षकों के पक्ष में आता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बिना प्रबन्ध मण्डल के अनुमति के सी.ए.एस. की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त प्रकरण में प्रो. आशु रानी, माननीय सदस्य द्वारा प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहा। सदस्य सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.04.2021 के निर्णयों की अनुपालना में माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को early hearing के लिए तथा राज्य सरकार को उक्त प्रकरण में स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किए जा चुके है। इस पर प्रो. आशु रानी व अन्य सदस्यों द्वारा उक्त बाबत् बार–बार स्मरण पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया जिसे सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।
मद संख्या–3	:	**विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.12.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.12.2021 के कार्यवाही विवरण के मद सं. 5 के निर्णय की अंतिम लाईन – "तथा उक्त पाठ्यक्रम का निर्माण व प्रणाली एनईपी–2020 के आधार पर रखे जाने की अनुशंषा भी की गई।" को विलोपित मानते हुए दिनांक 21.12.2021 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–4	:	**निरीक्षण मण्डल (Board of Inspection) की दिनांक 09.02.2021, 26.04.2021 (Online) व 23.09.2021 को आयोजित हुई बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	निरीक्षण मण्डल (Board of Inspection) की दिनांक 09.02.2021, 26.04.2021 (Online) व 23.09.2021 को आयोजित हुई बैठकों के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–5	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत, 06 संविदा कर्मियों की सेवा अवधि में दिनांक 01.07.2021 से एक वर्ष के लिए की गयी अभिवृद्धि सम्बन्धी आदेशों की पुष्टि करवाने हेतु।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत, 06 संविदा कर्मियों की सेवा अवधि में दिनांक 01.07.2021 से एक वर्ष के लिए की गयी अभिवृद्धि

		सम्बन्धी आदेशों की पुष्टि की गई। डॉ. जे.पी. सैनी, प्रबन्ध मण्डल सदस्य द्वारा राजस्थान के अन्य विभागों में संविदाकर्मियों को स्थायी करने में राज्य सरकार की पहल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा। डॉ. सैनी द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मी जो राज्य सरकार व विश्वविद्यालय के अनुसार योग्यता व अर्हताधारी है, उनको स्थायी किये जाने के प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेपित किये जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर सदन द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की पात्रता की जाँच किये जाने हेतु एक समिति गठित की जाने की अनुशंषा की गई जिसके लिये माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिन संविदा कर्मियों ने अतिरिक्त योग्यताऐं ली हों, उन्हें भी उनकी पात्रता में सम्मिलित किया जाऐ।
मद संख्या–6	:	**विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.01.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.01.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–7	:	**कुलपति खोजबीन समिति (VC Search Committee) के माननीय सदस्यों को देय बैठक सिटिंग चार्जेज राशि रू. 5000/– प्रति बैठक का निर्धारण करने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन।**
निर्णय	:	कुलपति खोजबीन समिति (VC Search Committee) के माननीय सदस्यों को देय बैठक सिटिंग चार्जेज राशि रू. 5000/– प्रति बैठक का निर्धारण करने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–8	:	**विश्वविद्यालय में जैन शोध पीठ की स्थापना के संबंध में डॉ. एकता धारीवाल द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाना।**
निर्णय	:	बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् विश्वविद्यालय में जैन शोध पीठ की स्थापना के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय में पूर्व में स्थापित समस्त पीठों की उपयोगिता के आधार पर पुनर्विचार किये जाने के संबंध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 20.11.2020 में प्रबन्ध मण्डल की तीन सदस्यी समिति गठित की गई थी परन्तु महामारी कोरोना के कारण बैठक न हो सकी। समिति सदस्यों ने शीघ्र ही बैठक कर अनुशंषाएं देने का आश्वासन दिया। उक्त समिति में वरिष्ठतम् सदस्य को बैठक का संयोजक माना गया।
मद संख्या–9	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के स्पोर्टस बोर्ड में प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों एवं शारीरिक शिक्षकों में से मनोनयन किया जाना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्पोर्ट्स बोर्ड के गठन हेतु वांछित स्पोर्ट्स बोर्ड अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य जिनका कि मनोनयन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाना है, उनका मनोनयन निम्नानुसार किया गयाः–

1.	डॉ. एकता धारीवाल	अध्यक्ष (प्रबन्ध मण्डल सदस्य)
2.	डॉ. राजवन्त संधु	प्रबन्ध मण्डल सदस्य
3.	श्री सी.बी. शर्मा	सम्बद्ध महाविद्यालय के शारीरिक

			शिक्षक / निदेशक
		4.	श्री आर. पी. मीणा	सम्बद्ध महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षक / निदेशक
		5.	डॉ. मूलचन्द मीणा	सम्बद्ध महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षक / निदेशक

मद संख्या–10	:	**विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबंध मण्डल सदस्यों में से किसी एक सदस्य का नाम निर्देशित किया जाना।**
निर्णय	:	प्रो. आशु रानी, प्रोफेसर, प्योर एण्ड एप्लाइड केमेस्ट्री, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामनिर्देशित सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने का निर्णय लिया गया।
मद संख्या–14	:	**अन्य मद कुलपति की अनुमति से** (i) विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.) लागू किये जाने संबंधी निर्णय की पुष्टि सदन द्वारा की गई। राज्य सरकार के द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए लागू की गयी शर्तों एवं प्रावधानों के अध्यधीन कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त, पुरानी पेंशन योजना के तहत कार्यरत कार्मिकों तथा पेंशनर्स के लिए लागू किये जाने संबंधी निर्णय की पुष्टि प्रबन्ध मण्डल द्वारा की गई। (ii) दिनांक 05.04.2021 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में स्थायी एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य राज्य सरकार के माध्यम से करवाये जाने संबंधी प्रस्ताव श्री शांति धारीवाल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय की अनुशंषाओं के साथ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में मा. धारीवाल सा. द्वारा अपनी अनुशंषाएँ जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। प्रासंगिक प्रकरण पर प्रबंध मण्डल की बैठक में इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4), राज. सरकार से प्राप्त पत्र प. 21(2)शिक्षा–4 / 2018 दिनांक 18.01.2022 के आलोक में पुनः चर्चा हुई। निकट भविष्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान उक्त समस्या बढ जाने संबंधी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राज. सरकार के माध्यम से तैयार करवाई गई परियोजना (अनुमानित व्यय रू. 8.81 करोड) की विश्वविद्यालय के स्वयं के आय–स्त्रोतों से सम्पन्न करवाने संबंधी प्रस्तावों का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया एवं स्वयं के आय स्त्रोतों से इस परियोजना को डिपोजिट वर्क के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। (iii) विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त अनुभाग से प्राप्त प्रस्ताव जिसमें

		कि रू. 657209290/– (पैंसठ करोड बहत्तर लाख नौ हजार दो सौ नब्बे रू. मात्र) का कर बचत हेतु निम्नानंकित तीन कार्यों पर accumulation of Income की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा दी गई:– (i) Construction of Various Building. (ii) Construction of University Employees Residential Quarters. (iii) Construction of over head water tank & supply line from PHED water treatment plant.

अन्त में कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(प्रो. नीलिमा सिंह)
कुलपति
व अध्यक्ष

(डॉ. आर.के. उपाध्याय)
कुलसचिव
व सदसय सचिव